

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।

E-mail:dfonainital_uta@yahoo.com

Telefax.05942-236790

पत्रांक:- ३४३१ /13- मिसिंग

दिनांक 3/3 /2020

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
नैनीताल ।

विषय :- जनपद-नैनीताल में धूखान-सौड व देवीपुरा-सौड मोटर के बीच मिसिंग लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.36 है० वन भूमि का गैर बानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन ।

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं० 8वी०/यू०पी०सी०/०६/१६३/२०१५/एफ०सी०/२४४९ दिनांक ०४.०२.२०२०. एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं० १९८५ /FP/UK/ Road/9093/2015 देहरादून, दिनांक ०७.०२.२०२०

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें । विषयगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित निम्न लिखित शर्तों का अनुपालन किया जाना है ।

१- शर्त न० १ के अनुपालन में ७२० वृक्षों के वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखरखाव की धनराशि रु० ७२० x १२१०-००= ८,७१,२००.०० (रु० आठ लाख इक्कत्त हजार दो सौ) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है। जो प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या ९७२/३-५-२ दिनांक २१-११-२०१७ द्वारा निर्धारित दर पर आगणन किया गया है ।

२- शर्त न० २ के अनुपालन में एन०पी०वी० की धनराशि रूपया ०.३६ है० x ६,५७,०००= २,३६,५२०.००(रु० दो लाख छत्तीस हजार पाँच सौ बीस)मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है । (संशोधित धनराशि ३,०१,४४०.०० पत्र संलग्न)

३- अपर प्रमुख वन संरक्षक,एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु न० १ में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ऑन लाईन अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या/चालान ऑन लाईन अपलोड किया जायेगा । उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रयोक्ता एजेन्सी को सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के अनुसार डिमाण्ड नोट प्रेषित करेंगे, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा ऑन लाईन अपलोड करेंगे, जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन लाईन सत्यापन किया जायेगा । तत्पश्चात् प्रयोक्ता एजेन्सी ऑन लाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि के भुगतान की कार्यवाही करेंगे ।

४- शर्त न० ३ के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का बजनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी०की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा करायी जायेगी ।

५- शर्त न० ४ में निर्देश दिये गये हैं कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधिया (CA cost,NPVetc.) को वेब पोर्टल पर Online Generate किये गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाय, अन्य माध्यम से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी ।

६- उपरोक्त के अतिरिक्त अपर प्रमुख वन संरक्षक,एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु न० २ में उल्लेख किया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत

प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन भारत सरकार के forestsclearance.nic.in पर Online अपने user account में जाकर stage II clearance में पहले mutataion की detail भरकर एवं समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या Online नोडल अधिकारी देहरादून के कार्यालय को प्रेषित की जानी हैं तथा हार्ड कापी इस कार्यालय को भी प्रेषित करें। तत्पश्चात् अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून द्वारा प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अतः भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तों की बिन्दु वार अनुपालन प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव हो सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊ वृत नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail:dfonainital_uta@yahoo.com

Telefax.05942-236790

पत्रांक:- 402 / 13- मिसिंग दिनांक 5/8 / 2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
नैनीताल।

विषय :- जनपद-नैनीताल में धूखान-सौड व देवीपुरा-सौड मोटर के बीच मिसिंग लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.36 है0 वन भूमि का गैर बानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8वी0/यू0पी0सी0/06/163/2015/एफ0सी0/2449 दिनांक 04.02.2020. एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0 1985 /FP/UK/ Road/9093/2015 देहरादून, दिनांक 07.02.2020 इस कार्यालय का पत्रांक 2831/13 -मिसिंग दिनांक 3-3-2020।

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। विषयगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त न0 2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि में आशिक संशोधित कर रूपया 0.36 है0 x 8,45,000=3,07,440.00 (रु0 तीन लाख सात हजार चार सौ चालीस) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी हैं। इस कार्यालय द्वारा दिये गये डिमाण्ड नोट में शेष कार्यवाही यथावत रहेगी।

अतः भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तों की बिन्दु वार अनुपालन प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव हो सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को दिनांक दिनांक 5-8-2020 को आपके कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊ वृत्त नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।